उनवान ... 251(A) R.T.Act - ... /2018

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
10/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 11/10/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
11/10/19	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण पूर्व में सुनी जा चुकी है। वरवक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 17/09/2018 के मुताबिक रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार खण्डेला ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तावित रास्ते को ही निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही बताया है। अत: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत् उद्देश्यों की पूर्ति में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:- **निर्णय** तन ग्राम विजयपुरा प० ह० कांसरड़ा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	के भूमि ख० नं० 987 में आवागमन हेतु तन ग्राम विजयपुरा प० ह० कांसरडा के ख० नं० 1006, 1007, 1008, 1009 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे ख० नं० 1006 में से 225 वर्गमीटर, ख० नं० 1007 में से 225 वर्गमीटर, ख० नं० 1008 में से 208 वर्गमीटर व ख० नं० 1009 में से 16 वर्गमीटर का 12 फुट की चौडाई में अर्थात् कुल 672 वर्गमीटर क्षेत्रफल का गै० मु० सिवायचक सार्वजनिक रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाता है। ~~उक्त~~ रास्ता पूर्णतः सार्वजनिक उपयोग-उपभोग का रहेगा। उक्त रास्ता भूमि में आने वाला रकबा को अप्रार्थी नं० 13 व 14 से रहन मुक्त किया जाकर अप्रार्थी नं० 1 ता 12 द्वारा लिये गए बैंक रहन को संबंधित खातेदारों की शेष भूमि पर बैंक रहन दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार पटेल उक्त रास्ते पेटे आई भूमि का वर्तमान डी०एल०सी० दर की दोगुनी राशि का आंकलन कर, आंकलित राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवा कर उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें। जमा राशि का भुगतान प्रभावित काश्तकारों को किया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना करा कर 15 दिवस में आवश्यक रूप से पालना रिपोर्ट न्यायालय मे ...	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पत्रावली कैलस कुमार होकर नम्बर से कम हो तल बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11/10/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयी मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया जाकर जारी किया गया। (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner